ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एंव सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 2-496/जी–11–03रा0आ0/2017 दिनांक 08 फरवरी, 2017

विषयः परिषद की आधिकारिक वेब साईट bor.up.nic.in पर उपलब्ध ऑन लाईन (रेवेन्यू सॉफ्ट/एम0आई0एस0) प्रपत्रों की सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि परिषद द्वारा जनपदों से सूचनाओं के संकलन हेतु परिषद की आधिकारिक वेब साईट bor.up.nic.in पर ऑन लाईन फीडिंग (रेवेन्यू सॉफ्ट/एम0आई0एस0) हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

2– परिषद के संज्ञान में आया है कि जनपदों द्वारा प्रपत्रों की ऑन लाईन फीडिंग करने के उपरान्त इसका प्रिंट आउट लेकर परिषद प्रेषित किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय सूचनाओं की फीडिंग निर्धारित ऑन लाईन प्रपत्र में न करके मात्र हार्ड कापी में सूचनाएं परिषद को प्रेषित की जा रही है।

3– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

(1) परिषद की आधिकारिक वेब साईट bor.up.nic.in पर ऑन लाईन फीडिंग (रेवेन्यू सॉफ्ट/एम0आई0एस0) हेतु उपलब्ध प्रपत्र में प्रत्येक माह यथासमय सूचनाएं फीड कर ली जाय। इन सूचनाओं की हार्ड कापी परिषद को प्रेषित नहीं की जाय।

(2) जो सूचनाएं ऑन लाईन (रेवेन्यू सॉफ्ट/एम0आई0एस0) प्रपत्र में फीड नहीं की जा सकी हो, मात्र उनकी सूचना फीडिंग नहीं किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए हार्ड कापी में परिषद को उपलब्ध कराया जाय।

(3) फीडिंग के उपरान्त जिन प्रकरणों में संशोधित सूचना उपलब्ध करानी हो, उनकी संशोधित सूचना ही हार्ड कापी में परिषद को उपलब्ध कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– समस्त प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

2– समस्त अनुभाग अधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

3– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त परिषदादेश राजस्व परिषद की आधिकारिक वेब साईट अपलोड कराने का कष्ट करें।

(सुनील कुमार चौधरी)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।